रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255631
CG-DL-E-22072024-255631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]	नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946
No. 385]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 422(अ).— निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5) की धारा 63 (2) (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित नियम लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता और अन्य हितधारकों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में मसौदा अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या prasoon.tripathi76@gov.in पर लिखित रूप से ऐसा कर सकता है।

मसौदा अधिसूचना

सं. ... जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5), जिसे 15.02.2024 को अधिसूचित किया गया है, की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित संशोधित उप-धारा 4 (2) और उप-धारा 5 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ परामर्श के बाद, राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: –

(क) इन नियमों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति (अध्यक्ष की नियुक्ति, योग्यताएं और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(ख) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ: -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से है।

(ख) "अध्यक्ष" का अर्थ है एसपीसीबी/ पीसीसी का अध्यक्ष

(ग) "पीसीसी" का अर्थ है संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समिति

(घ) "एसपीसीबी" का अर्थ है संबंधित राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(ङ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से तात्पर्य उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है जिसके लिए संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष का नाम विचाराधीन है।

3. अध्यक्ष की नियुक्ति :-

(क) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथा संशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा 5(9) के साथ पठित उपधारा 2(क) के उपबंधों के अनुसार एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। शैक्षिक योग्यता, मानदंड और नियुक्ति का तरीका इन नियमों के अनुसार होगा।

(ख) अप्रत्याशित रिक्ति की स्थिति में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अधिकारी को, जो प्रधान सचिव के पद से नीचे का न हो, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम छह माह की अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।

4. अर्हताएं:–

कोई भी व्यक्ति एसपीसीबी/पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं न हों:-

(क).

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त हो; और

(ख) राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्वायत्त निकायों या सांविधिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत कम से कम बीस (20) वर्ष की सेवा की है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्र में दस (10) वर्ष का आवश्यक अनुभव और उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान शामिल है; और

(ग) लेवल-14 या समकक्ष में कम से कम पांच (05) वर्ष की सेवा प्रदान की हो।

या

(ख)

(i) भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद पर कम से कम तीन (03) वर्षों तक कार्य किया हो या किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रधान सचिव के पद पर कार्य किया हो; और

(ii) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो या इन विषयों से संबंधित संस्थाओं का प्रशासन कर रहा

5. आयु सीमा : -

इस पद पर प्रथम नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से बासठ (62) वर्ष होगी।

6. भर्ती की विधि :-

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित पर्यावरण विभाग द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे और अध्यक्ष की सिफारिश निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति द्वारा की जाएगी, अर्थात्:

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केव मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग के प्रभारी सचिव - सदस्य सचिव

(iii) प्रधान सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्मिक विभाग - सदस्य

(iv) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से नीचे के रैंक के न हों - सदस्य

(v) राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक विशेषज्ञ – सदस्य

(ख) चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अध्यक्ष की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।

(ग) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण होने वाली किसी रिक्ति की तिथि से एक (01) माह के भीतर; तथा किसी प्रत्याशित रिक्ति से छह (06) माह पूर्व, पद को भरने के लिए चयन समिति को संसूचित करेगा।

(घ) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट रिक्ति को भरने लिए वर्णानुक्रम में तीन उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल प्रस्तुत करेगी तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उस पैनल में से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।

(ङ) यदि इन नियमों की अधिसूचना की तिथि तक वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कुछ भर्ती नियमों/नीति के आधार पर की गई है, तो उपरोक्त प्रक्रिया उनके वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद लागू होगी। अन्य सभी मामलों में, उपरोक्त प्रक्रिया इन नियमों की अधिसूचना से छह महीने के भीतर अपनाई जाएगी।

(च) चयन समिति, उसे संसूचित किए जाने की तारीख से तीन (03) महीने के भीतर अध्यक्ष के चयन के लिए पैनल की सिफारिश करेगी।

(छ) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने से पहले चयन समिति स्वयं संतुष्ट हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

7. वेतन, भत्ता एवं सेवा की अन्य शर्तें: -

(क) अध्यक्ष को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-17 के वेतनमान में वेतन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समकक्ष रैंक के अधिकारियों को देय अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(ख) उप-नियम (क) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित का हकदार होगा: -

(i) शहर प्रतिपूरक भत्ता और मकान किराया भत्ता।

(ii) अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता

(iii) चिकित्सा सुविधाएं जो मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य हैं।

(iv) भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण अवधि और अन्य सेवा शर्तों के मामलों में अध्यक्ष की अन्य सेवा शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो समतुल्य वेतनमान के अधिकारियों पर लागू हैं।

(v) अन्य सुविधाएं जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, वाहन का आवंटन आदि, जो राज्य सरकार के अधीन समकक्ष रैंक के अधिकारियों को स्वीकार्य हैं।

(ग) एक बार नियुक्त होने के बाद अध्यक्ष की सेवा शर्तों में उसके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(घ) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और एसपीसीबी/पीसीसी में सेवा करते हुए अपनी संबंधित सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत अधिकारी को, जैसा लागू हो, अपने मूल विभाग या संगठन से सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। हालांकि, यदि वह पेंशन प्राप्त करता है, यदि लागू हो, तो अध्यक्ष के रूप में उसके वेतन में से उसे प्राप्त पेंशन की राशि काट ली जाएगी।

(ङ) अध्यक्ष, यदि उस पद पर को छोड़ रहा हो, तो वह पद छोड़ने की तिथि से दो (02) वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए अपात्र हो जाएगा;

(च) अध्यक्ष, अपने पद से हटने की तिथि से दो (02) वर्ष की अवधि तक, शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर, कोई भी नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

8. कार्यकाल : -

(क) अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (03) वर्ष तक या पैंसठ (65) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

(ख) यदि अध्यक्ष बीमारी, छुट्टी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंप सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा छह माह होगी।

(ग) यदि किसी सेवारत अधिकारी को एसपीसीबी/पीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपना कार्यकाल पूरा करना होगा, भले ही वह इस बीच अपने मूल संगठन से सेवानिवृत्त हो गया हो।

(घ) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने पहले कार्यकाल के पूरा होने के बाद अधिकतम पैंसठ (65) वर्ष की आयु तक या पुनर्नियुक्ति अवधि तक, जो भी पहले हो, निर्दिष्ट अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा

9. सेवा से निष्कासन :

(क) अध्यक्ष को उपर्युक्त चयन समिति की सिफारिशों पर, उचित कारण और जांच के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है।

(ख) नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् तत्काल हटा सकता है, यदि वह:

(i) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ii) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की राय में नैतिक कदाचार से संबंधित हो; या

(iii) अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(iv) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(v) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो।

10. अयोग्यता :

कोई व्यक्ति: -

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ii) जिसने अपने जीवित जीवनसाथी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि सरकार को यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[फा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

G.S.R. 422 (E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 63 (2) (aa) of Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024), for bringing out rules relating to the appointment and terms and condition of service of Chairman State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which the draft notification is published in the Gazette of India;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and

Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or prasoon.tripathi76@gov.in

DRAFT NOTIFICATION

No…………… In exercise of the powers conferred by amended sub-section 4(2) and sub-section 5(9), read with Clause (aa) of the sub-section (2) of the Section 63, of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (5 of 2024) which has been notified on 15.02.2024, the Central Government after consultations with the Central Pollution Control Board (CPCB), hereby makes the following rules to streamline the appointment of Chairman of the State Pollution Control Board (SPCB) of the States and Pollution Control Committee (PCC) of Union Territories, namely:

1. Short title and commencement:–

(a) These rules may be called the State Pollution Control Board and Pollution Control Committee (Appointment, Qualifications and Other Terms and Conditions of Service of Chairman), Rules, 2024.

(b) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these rules unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act,2024 as amended from time to time

(b) "Chairman" means the Chairman of the SPCB/ PCC

(c) "PCC" means the Pollution Control Committee of the respective Union Territory

(d) "SPCB" means the State Pollution Control Board of respective State

(e) State Government/ UT administration means the State Government or Union Territory Administration for which the Chairman of respective SPCB /PCC is under consideration.

3. Appointment of Chairman: –

(a) The State Government / UT Administration shall appoint a Chairman of the SPCB / PCC in accordance with the provisions of sub-section 2(a) of Section 4 read with sub-section 5 (9) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended. The educational qualifications, criteria and manner of appointment shall be in accordance with these rules.

(b) The State/UT administration may appoint an officer of the State Government / UT administration not below the rank of Principal Secretary as the Chairman of the respective SPCB /PCC for a maximum period of six months, in case of unforeseen vacancy.

4. Qualifications: –

No person shall be eligible for being considered for appointment as Chairman of the SPCB /PCC unless he: -

(a)

(a) Possesses a Master's Degree in Science or a Bachelor's Degree in Engineering from a recognized University or Institute; and

(b) Has rendered at least twenty (20) years of service under State Government or Central Government or Autonomous bodies or Statutory bodies or Public sector undertakings, including ten (10) years' essential experience in an area related to the environmental protection and has special knowledge in that area; and

(c) Has rendered service of at least five (05) years in level-14 or equivalent.

OR

(b)

(i) Has worked as Joint Secretary or above in Government of India for at least three (03) years or as Principal Secretary in a State Government / UT Administration; and

(ii) Possesses special knowledge or experience in the field of environment protection or administering institutions dealing in these subjects

5. Age Limit:-

The maximum age limit for first appointment on this post shall be sixty-two(62) years as on the date of notification of appointment by State Government / UT Administration.

6. Mode of Recruitment:-

(a) Applications for appointment of Chairman shall be invited by the respective Environment Department of

State or UT administration through open advertisement and the Chairman shall be recommended by a Selection Committee of the following composition, namely:

(i) Chief Secretary of the State / UT -Chairperson
(ii) Secretary In-Charge, Department of Environment of the State / UT -Member Secretary
(iii) Principal Secretary, Department of Personnel of the State / UT -Member
(iv) Nominee of Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Joint secretary -Member
(v) An expert to be nominated by the State Government / UT –Member

(b) No appointment of Chairman shall be invalidated merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

(c) The State Government / UT Administration shall, within one (01) month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal; and six (06) months before any anticipated vacancy, make a reference to the Selection Committee for filling up of the post.

(d) The Selection Committee shall submit a panel of three suitable persons in alphabetical order for the vacancy referred to it and the State Government / UT Administration will appoint Chairman from amongst the panel.

(e) In case the incumbent Chairman, as on date of notification of these rules, has been appointed based on some Recruitment Rules/policy framed by State Governments, the above procedure will be applicable after completion of his current tenure. In all other cases, the above procedure shall be adopted within six months from notification of these rules.

(f) The Selection Committee shall recommend the panel for selection of the Chairman, within three (03) months from the date on which the reference is made to it.

(g) Before recommending any person for appointment as a Chairman, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests, which is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman.

7. Pay, allowance and other conditions of service:-

(a) The Chairman shall receive a pay in the pay scale of Level-17 in the Pay Matrix of the 7th Central Pay Commission and other allowances as admissible to officers of the State / UT of equivalent rank.

(b) In addition to the pay specified in sub-rule (a), the Chairman shall be entitled to, as per extant rules and regulations of the State / UT: -

(i) A city compensatory allowance and house rent allowance.
(ii) The travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him/ her in connection with his /her duties as the Chairman
(iii) The medical facilities as are admissible, as per norms.
(iv) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to the officers of the corresponding pay scale.
(v) Other facilities like telephone, mobile phone, allotment of vehicle etc., as admissible to the equivalent rank officers under the State Government.

(c) Once appointed, the service conditions of the Chairman cannot be altered to his disadvantage.

(d) A serving officer appointed as Chairman and retiring from his respective service while serving in the SPCB /PCC on attaining the age of superannuation, shall draw their retirement benefits from their parent department or organization, as applicable. However, in case he receives pension, if applicable, his salary as Chairman will be deducted by the amount of the pension received by him.

(e) The Chairman ceasing to hold that office shall be ineligible for further employment under the Central Government or any State Government / UT for a period of two (02) years from the date he ceases to hold such office;

(f) The Chairman will not accept any employment, except in the field of academics, for a period of two (02) years from the date he ceases to hold such office.

8. Tenure:-

(a) The tenure of Chairman shall be for a term of three (03) years from the date of joining the office or attainment of the age of sixty-five (65) years, whichever is earlier.

(b) In case a Chairman is not able to perform his duties temporarily due to illness, leave or such other causes, the State Government may assign additional charge to a suitable officer for that period of absence, subject to a maximum limit of six months.

(c) If a serving officer is appointed as the chairman of the SPCB / PCC, he shall complete his tenure even if superannuated in the meantime from his parent organisation.

(d) Any person appointed as Chairman will be eligible for reappointment for a specified period after completion of first tenure subject to maximum age of sixty-five (65) years or reappointment period, whichever is earlier.

9. Removal from service:

(a) The Chairman may be removed from the post before completion of tenure on recommendations of the above referred Selection Committee on the ground of proven misconduct or incapacity, after due cause and enquiry.

(b) Notwithstanding anything contained in the rules, State Government / UT may remove the Chairman immediately, after being given opportunity of being heard, if he:

(i) Has been adjudged as insolvent; or
(ii) Has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government / UT, involves moral turpitude; or
(iii) Has become physically or mentally incapable of acting as a Chairman; or
(iv) Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman, or
(v) Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

10. Disqualification:

No person:-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(ii) who having living spouse has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

[F No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.22 15:35:16 +05'30'